वस्त्रोद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 76

वस्त्रोद्योग मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		438.51	177.05	615.56	388.76	160.14	548.90	631.95	167.40	799.35
पूंजी		*18.49*	*577.25*	*595.74*	*19.54*	*658.68*	*678.22*	*18.05*	*492.90*	*510.95*
जोड़		**457.00**	**754.30**	**1211.30**	**408.30**	**818.82**	**1227.12**	**650.00**	**660.30**	**1310.30**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	1.00	5.06	6.06	1.00	4.82	5.82	1.00	6.00	7.00
ग्राम और लघु उद्योग										
हथकरधा उद्योग										
2. हथकरधा संबंधी आर्थिक सहायता										
2.01 हथकरधा कपड़े पर विशेष छूट	3601	...	31.85	31.85	...	24.82	24.82	...	19.00	19.00
2.02 जनता कपड़े पर आर्थिक सहायता	3601	...	2.00	2.00	...	1.80	1.80	...	1.00	1.00
2.03 अन्य	2851	...	1.20	1.20	...	1.08	1.08	...	1.00	1.00
	जोड़	*...*	*35.05*	*35.05*	*...*	*27.70*	*27.70*	*...*	*21.00*	*21.00*
3. हथकरधों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें										
3.01 वर्कशेड एवं हथकरधा बुनकर आवास योजना को अनुदान	3601	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	9.00	...	9.00
3.02 हथकरधा बुनकरों के लिए परियोजना पैकेज योजना	3601	20.00	...	20.00	12.30	...	12.30	...	...	...
3.03 हथकरधा बुनकर कल्याण योजना	3601	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00
3.04 दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	3601	40.00	...	40.00	20.00	...	20.00	66.00	...	66.00
3.05 अन्य	3601	0.70	...	0.70	1.10	...	1.10	1.00	...	1.00
	7601	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	3.00	...	3.00
	Total	11.70	...	11.70	12.10	...	12.10	4.00	...	4.00
	जोड़	*87.70*	*...*	*87.70*	*60.40*	*...*	*60.40*	*84.00*	*...*	*84.00*
4. अन्य हथकरधा योजनाएं										
4.01 गहन विकास परियोजना एवं निर्यात संवर्धन योजना	2851	4.50	...	4.50	4.95	...	4.95	6.25	...	6.25
4.02 विपणन परिसर की स्थापना एवं सूत अधिप्राप्ति के लिए सहायता	2851	4.00	...	4.00	4.40	...	4.40	7.00	...	7.00
4.03 बुनकर सेवा केन्द्र	2851	1.50	12.44	13.94	2.05	12.25	14.30	2.10	14.00	16.10
4.04 हथकरधा निर्यात विकास योजना	2851	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
4.05 अन्य	2851	6.30	4.30	10.60	5.20	4.20	9.40	6.10	5.00	11.10
	3602	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	0.50	0.50
	4851	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	5.55	...	5.55
	जोड़	*10.30*	*5.80*	*16.10*	*9.20*	*5.70*	*14.90*	*11.65*	*5.50*	*17.15*
जोड़-हथकरधा उद्योग		**112.00**	**53.29**	**165.29**	**85.00**	**45.65**	**130.65**	**116.00**	**40.50**	**156.50**
हथकरधा उद्योग										
5. अन्य हस्तशिल्प योजनाएं										
5.01 प्रशिक्षण एवं विस्तार	2851	26.00	2.85	28.85	26.00	2.83	28.83	25.42	3.00	28.42
5.02 डिजाइन एवं तकनीकी विकास	2851	4.25	2.38	6.63	4.20	2.33	6.53	4.39	2.50	6.89
5.03 राज्य निगमों/ शीर्ष सहकारी समितियों को सहायता	2851	5.25	...	5.25	5.75	...	5.75	...	...	...
5.04 अन्य	2851	12.29	8.05	20.34	17.84	7.87	25.71	30.19	9.20	39.39
	4851	0.21	...	0.21	0.21	...	0.21	4.00	...	4.00
	जोड़	*48.00*	*13.28*	*61.28*	*54.00*	*13.03*	*67.03*	*64.00*	*14.70*	*78.70*
ऊन उद्योग										
6. ऊन विकास बोर्ड	2851	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00
रेशम उत्पादन										
7. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	2851	60.00	17.00	77.00	60.00	15.30	75.30	70.20	19.00	89.20
	जोड़	*60.00*	*17.00*	*77.00*	*60.00*	*15.30*	*75.30*	*70.20*	*19.00*	*89.20*
8. अन्य रेशम उद्योग स्कीमें	2851	1.00	1.50	2.50	1.00	1.35	2.35	1.05	1.50	2.55
जोड़-रेशम उत्पादन		**61.00**	**18.50**	**79.50**	**61.00**	**16.65**	**77.65**	**71.25**	**20.50**	**91.75**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
विद्युतकरधा उद्योग										
9. अन्य विद्युतकरधा स्कीमें	2851	8.50	0.95	9.45	6.80	0.94	7.74	5.74	1.10	6.84
	3601	1.50	...	1.50	0.50	...	0.50	0.26	...	0.26
	जोड़	*10.00*	*0.95*	*10.95*	*7.30*	*0.94*	*8.24*	*6.00*	*1.10*	*7.10*
जोड़-ग्राम और लघु उद्योग		**237.00**	**86.02**	**323.02**	**213.30**	**76.27**	**289.57**	**262.25**	**76.80**	**339.05**
उपभोक्ता उद्योग										
10. उपकर संग्रहण के एवज में अदायगी										
10.01 वस्त्रोद्योग	2852	...	15.00	15.00	...	14.50	14.50	...	17.00	17.00
10.02 जूट	2852	...	26.60	26.60	...	22.10	22.10	...	20.00	20.00
	जोड़	*...*	*41.60*	*41.60*	*...*	*36.60*	*36.60*	*...*	*37.00*	*37.00*
11. वस्त्र आयुक्त	2852	...	9.00	9.00	...	8.86	8.86	...	10.00	10.00
12. वस्त्रोद्योग के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम										
12.01 फैशन प्रद्योगिकी संस्थान को अनुदान	2852	23.37	3.50	26.87	23.37	3.50	26.87	21.00	5.00	26.00
12.02 अनुसंधान एवं विकास	2852	10.00	...	10.00	6.00	...	6.00	12.00	...	12.00
12.03 वस्त्रोद्योग श्रमिक पुनर्वास योजना	2852	...	18.00	18.00	...	18.00	18.00	...	18.83	18.83
12.04 अध्ययनों के लिए अनुदान	3453	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
12.05 वस्त्रोद्योग आधुनिकीकरण तथा तकनीकी उन्नयन	2852	50.00	...	50.00	60.00	...	60.00	200.00	...	200.00
12.06 सूती तकनीकी मिशन	2852	15.00	...	15.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
12.07 परिधान निर्यात वस्त्रोद्योग पार्क योजना	3601	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
12.08 वस्त्रोद्योग अभिवृद्धि केन्द्रों की आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन हेतु योजना	3601	...	...	...	...	...	...	15.00	...	15.00
12.08 अन्य	2852	4.50	5.00	9.50	4.50	4.52	9.02	4.90	5.00	9.90
	जोड़	*103.87*	*26.50*	*130.37*	*119.87*	*26.02*	*145.89*	*288.90*	*28.83*	*317.73*
13. जूट आयुक्त	2852	...	1.80	1.80	...	1.77	1.77	...	1.70	1.70
14. जूट-विकास आदि के लिए अन्य कार्यक्रम										
14.01 राष्ट्रीय जूट विविधीकरण केन्द्र के लिए अनुदान	2852	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00	3.08	...	3.08
14.02 विशेष जूट विकास निधि	2852	50.00	...	50.00	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00
14.03 अन्य	2852	2.50	7.07	9.57	2.50	5.80	8.30	2.05	7.07	9.12
	जोड़	*56.50*	*7.07*	*63.57*	*15.50*	*5.80*	*21.30*	*10.13*	*7.07*	*17.20*
15. जूट विकास निधि-अन्तरण										
को	2852	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
से	2852	-10.00	...	-10.00	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00
निवल		...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अनुदान										
16.01 राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड	2852	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00
16.02 ब्रिटिश इंडिया निगम लिमिटेड	2852	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
16.03 जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2852	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
16.04 नेशनल जूट विनिर्माता कारपोरेशन लिमिटेड	2852	...	...	...	...	...	...	6.00	...	6.00
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*30.00*	*...*	*30.00*
जोड़-उपभोक्ता उद्योग		**160.37**	**85.97**	**246.34**	**135.37**	**79.05**	**214.42**	**329.03**	**84.60**	**413.63**
नागरिक पूर्ति										
17. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
17.01 उत्तर-पूर्वी हथकरधा और हस्तशिल्प विकास निगम	6851	...	0.30	0.30	...	1.50	1.50	...	0.75	0.75
17.02 राष्ट्रीय कपड़ा निगम	6860	...	346.00	346.00	...	494.00	494.00	...	280.00	280.00
17.03 ब्रिटिश इंडिया निगम	6860	...	12.80	12.80	...	21.20	21.20	...	12.80	12.80
17.04 राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	6860	...	64.00	64.00	...	96.00	96.00	...	64.00	64.00
17.05 एल्गिन मिल्स	6860	...	...	...	...	7.40	7.40	...	...	...
17.06 कानपुर कपड़ा मिल	6860	...	...	...	...	3.23	3.23	...	...	...
17.07 बर्ड जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड	6860	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35

(करोड़ रुपए)

		बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
17.08 भारतीय जूट निगम लिमिटेड	6860	...	53.80	53.80	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00
17.09 टर्मिनल लाभों के निपटारे के लिए एकमुश्त प्रावधान	6860	...	100.00	100.00	...	...	...	...	100.00	100.00
जोड़	*जोड़*	*...*	*577.25*	*577.25*	*...*	*658.68*	*658.68*	*...*	*492.90*	*492.90*
18. सरकारी उद्यमों में निवेश	4851	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	4.50	...	4.50
	4860	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	...	...	...
	जोड़	*2.03*	*...*	*2.03*	*2.03*	*...*	*2.03*	*4.50*	*...*	*4.50*
19. सीसीएफ-I के अधीन यूएनडीपी सहायता										
18.01 हस्तशिल्प उद्योग	2851	3.07	...	3.07	3.07	...	3.07	3.50	...	3.50
18.02 ऊन उद्योग	2851	2.43	...	2.43	2.43	...	2.43	3.00	...	3.00
18.03 रेशम उद्योग	2851	4.20	...	4.20	4.20	...	4.20	2.80	...	2.80
18.04 जूट उद्योग	2852	1.90	...	1.90	1.90	...	1.90	1.92	...	1.92
	जोड़	*11.60*	*...*	*11.60*	*11.60*	*...*	*11.60*	*11.22*	*...*	*11.22*
20. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान										
हथकरघा	3601	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00	...	...	...
	7601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	2552	...	...	...	...	...	...	19.00	...	19.00
	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*22.00*	*...*	*22.00*	*22.00*	*...*	*22.00*	*20.00*	*...*	*20.00*
हस्तशिल्प	2851	10.75	...	10.75	9.70	...	9.70	...	...	...
	4851	0.25	...	0.25	1.30	...	1.30	...	...	...
	2552	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00
	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*11.00*	*...*	*11.00*	*11.00*	*...*	*11.00*	*8.00*	*...*	*8.00*
रेशम	2851	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	...	...	...
	2552	...	...	...	...	...	...	14.00	...	14.00
	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*12.00*	*...*	*12.00*	*12.00*	*...*	*12.00*	*14.00*	*...*	*14.00*
	जोड़	**45.00**	**...**	**45.00**	**45.00**	**...**	**45.00**	**42.00**	**...**	**42.00**
कुल जोड़		***457.00***	***754.30***	***1211.30***	***408.30***	***818.82***	***1227.12***	***650.00***	***660.30***	***1310.30***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
18.01 राष्ट्रीय कपड़ा निगम	12860	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
18.02 ब्रिटिश इंडिया निगम	12860	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
18.03 राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	12860	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
18.04 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	12851	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18.05 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	12860	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
18.06 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम	12860	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
18.07 राज्य हथकरघा निगम/सोसायटियां	12860	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50
18.08 भारतीय कपास निगम	12860	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18.09 हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम	12860	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
जोड़		**2.03**	**15.00**	**17.03**	**2.03**	**15.00**	**17.03**	**4.50**	**15.00**	**19.50**
ग. आयोजना परिव्यय:-										
1. ग्राम और लघु उद्योग	12851	294.60	...	294.60	270.90	...	270.90	277.97	...	277.97
2. उपभोक्ता उद्योग	12860	160.40	15.00	175.40	135.40	15.00	150.40	329.03	15.00	344.03
3. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	22552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	42.00	...	42.00
जोड़		**457.00**	**15.00**	**472.00**	**408.30**	**15.00**	**423.30**	**650.00**	**15.00**	**665.00**

1. **सचिवालय** : इसमें मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

ग्राम और लघु उद्योग :

हथकरघा उद्योग :

2. ***हथकरघा संबंधी आर्थिक सहायता*** :

2.01. ***हथकरघा कपड़े पर विशेष छूट*** : विशेष छूट की योजना के एक विकल्प के रूप में एक बाजार विकास सहायता योजना तैयार की गई है और दिनांक 1.4.89 से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, संगठन के कार्यनिष्पादन से संबद्ध हथकरघा क्षेत्र को सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता हथकरघा वस्त्रों, सिले-सिलाये वस्त्रों और पोशाकों के पिछले तीन वर्षों में हुए औसत कारोबार के 8 प्रतिशत के आधार पर अथवा संगठन द्वारा प्राप्त/प्राप्तव्य औसत छूट और सहायता के आधार पर दी जाती है और इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों का बराबर हिस्सा होता है।

2.02. ***जनता वस्त्र पर आर्थिक सहायता*** : 1976 से चालू जनता वस्त्र योजना 1.4.1998 से बंद कर दी गई है। संभवत वर्ष 2000-2001 प्रावधान कुछ बचे हुए दावों की पूर्ति के लिए किया गया है। जिन्हें शीघ्र निपटाए जाने की संभावना है।

2.03. ***अन्य*** : इसमें हथकरघा वस्त्र पर छूट; विशेष छूट/ एम.डी.ए; राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी संघ को हथकरघा वस्त्र पर छूट के लिए उत्तर-पूर्वी हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम/राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम/ पुनर्वास उद्योग निगम को अदायगी के लिए व्यवस्था की गई है।

3. ***हथकरधा क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं*** : इसमें हथकरघा बुनकरों को करघों की खरीद/आधुनिकीकरण/नवीकरण के लिए अनुदानों की व्यवस्था की गई है। अन्य योजनाएं निम्न प्रकार है :-

(i) हथकरघा बुनकरों के लिए कार्य शेड एवं आवास स्कीमों हेतु अनुदान;

(ii) प्रवर्तन मशीनरी की स्थापना हेतु अनुदान;

(iii) हथकरघा बुनकरों के लिए परियोजना पैकेज योजनाएं;

(iv) हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए अनुदान;

(v) हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना करने की स्कीम;

(vi) मितव्यय निधि स्कीम, समूह बीमा स्कीम, निराश्रित बुनकरों के लिए स्वास्थ्य पैकेज स्कीम, परियोजना पैकेज स्कीम आदि।

(vii) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना - वित्त मंत्री के वर्ष 2000-2001 के लिए बजट के बजट भाषण के अनुसरण में 1 अप्रैल, 2000 से दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डी.डी.एच.पी.वाई) नामक एक नई केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना स्कीम प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया है।

4. **अन्य हथकरधा योजनाएं** : इसमें हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, अनुसंधान और विकास, विपणन काम्प्लेक्स की स्थापना और धागा खरीदने के लिए सहायता, बुनकर सेवा केन्द्र और हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का प्रशासन, शिल्प संग्रहालय के क्रियाकलाप हथकरघा वस्त्र पर छूट, बुनकरों के लिए कल्याण पैकेज योजनाएं, गुणवत्ता उत्पादन के लिए योजना और पृथक तथा पहाड़ी क्षेत्रों के हथकरघा उत्पादों के विपणन, हथकरघा निर्यात की स्कीम और निराश्रित बुनकरों को मार्जिन राशि का अनुदान, संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को और बुनकर सेवा केन्द्र तथा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण, गहन विकास परियोजना और निर्यात उत्पादन स्कीम के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है।

हस्तशिल्प उद्योग

5. **अन्य हस्तशिल्प योजनाएं** : इसमें की गई व्यवस्था में हस्तशिल्प विकास आयुक्त के प्रशासन कार्यालय, प्रशिक्षण और विस्तार; कालीन कला, धातु की वस्तुओं आदि जैसे विभिन्न प्रमुख शिल्पों का डिजाइन और तकनीकी विकास, विपणन और सेवा विस्तार; प्रदर्शनी और प्रचार; आर्थिक शिल्प; अनुसंधान सर्वेक्षण और विपणन अध्ययन; शिल्प विकास, साधारण सुविधा केन्द्रों/कच्ची सामग्री के डिपो की स्थापना; नए बिक्री केन्द्रों और मौजूदा बिक्री केन्द्रों के नवीकरण के लिए केन्द्र/राज्य निगमों/शीर्ष सहकारी संस्थाओं को सहायता; निर्यात संवर्धन विनियमन; कल्याण और अन्य स्कीमें; एन.ई.एच.एच.डी.सी. को सहायता; केन्द्रीय/राज्य हस्तशिल्प निगमों/ हस्तशिल्प शीर्ष सहकारी समितियों में निवेश; कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए भवन और हस्तशिल्प भवन का आदि निर्माण शामिल है।

6. **ऊन विकास बोर्ड** : इस योजना के अंतर्गत देश में ऊन और ऊनी उत्पादों के समग्र विकास हेतु राज्य सरकारों के संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से बोर्ड के विभिन्न कर्यक्रमों और परियोजनाओं के संचालन हेतु प्रावधान प्रस्तावित है। बोर्ड के प्रमुख कार्यक्रमों और परियोजनाओं में निम्न शामिल है (i) एकीकृत भेड़ और ऊन विकास परियोजना (ii) एकीकृत अंगुरा खरगोश विकास परियोजना (iii) मशीन शियरिंग-सहप्रशिक्षण परियोजना (iv) ऊन सफाई संयत्र (v) ऊन जांच केन्द्र (vi)औद्योगिक सेवा केन्द्र (vii) बुनाई और अभिकल्पना प्रशिक्षण केन्द्र (viii) जट आसूचना तंत्र (ix) ऊन और ऊनी वस्त्रों के विकास हेतु क्षेत्र आधारित परियोजना (x) यू एन डी पी सी सी एफ-1 अंगुरा खरगोश विकास परियोजना (xi) ऊनी एक्सपो (xii) मानव संसाधन विकास (xiii) संवर्द्धनात्मक गतिविधियां।

7. **केन्द्रीय रेशम बोर्ड** : इसमें संसद के अधिनियम 1948 का (51) द्वारा गठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन के लिए व्यवस्था की गई है। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार बोर्ड को सौंपे गए कार्य व्यापक हैं और इनमें रेशम उत्पादन के समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उद्योग के सभी पहलू तथा इसके नियंत्रणाधीन रेशम उद्योग शामिल है। अन्य बातों के अलावा, यह बोर्ड वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान करने/सहायता देने और प्रोत्साहित करने, उच्चतर स्तरों पर विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और परीक्षण करने, ग्रेड निर्धारित करने, रेशम के उत्पादों का युक्तियुक्त विपणन, संस्थियकीय आंकड़े इकट्ठे करने, कच्चे रेशम की वस्तुओं आदि के आयात और निर्यात सहित रेशम उद्योग के विकास से संबंधित नीति विषयक सभी मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिए उत्तरदायी है। इस व्यवस्था में कृषि-आधारित कुटीर उद्योग का विकास अर्थात रेशम उत्पादन भी शामिल है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत 276 इकाइयां काम कर रही हैं तथा यह 4590 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है।

8. **अन्य रेशम उत्पादन योजनाएं** : इस व्यवस्था में रेशम और कला-रेशम मिल अनुसंधान संघ को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं।

विद्युत चालित करधा उद्योग

9. **अन्य विद्युत चालित करधा योजनाएं** : यह व्यवस्था वस्त्रोद्योग अनुसंधान संघ, श्रम कल्याण और विद्युत-करघा संकेंद्रित क्षेत्रों के लिए आधारभूत सुविधा हेतु अनुदान के लिए है।

उपभोक्ता उद्योग

10. **कपड़े/जूट पर उपकर संग्रह के एवज में अदायगियां** : इसके अन्तर्गत वस्त्रोद्योग समिति द्वारा संग्रह किए गए उपकर में से समिति को अदायगी करने की व्यवस्था की गई है ताकि समिति निर्यात के लिए निर्धारित वस्त्रों और वस्त्र निर्माण मशीनरी निरीक्षण जहाज में लदान से पहले कर सके और इसमें जूट पर उपकर के संग्रह के एवज में जूट विनिर्माण विकास परिषद को अदायगी करने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

11. **वस्त्र आयुक्त** : वस्त्र आयुक्त, वस्त्रोद्योग के विकास की देखभाल करता है और इसमें वस्त्रोद्योग के सभी पहलू जैसे कि लक्ष्य, उत्पादन, नई/ अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान करना, विभिन्न मिलों को कपास का आवंटन, वस्त्रों, कच्चे माल की पूर्ति और वितरण, मशीनरी का आयात, वस्त्रों का निर्यात, कीमतों की मानिटरिंग आदि शामिल है।

12. **अन्य वस्त्रोद्योग के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान** : इसके अन्तर्गत मुख्यतः विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों, वस्त्रोद्योग श्रमिक पुनर्वास योजना तथा वस्त्रोद्योग आधुनिकीकरण एवं तकनीकी उन्नयन को अनुदान देने की व्यवस्था है।

12.05 ***वस्त्रोद्योग आधुनिकीकरण तथा तकनीकी उन्नयन*** : भारत सरकार ने वस्त्रोद्योग और पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु दिनांक 1.4.1999 से पांच वर्षों का अवधि हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना कार्यान्वित की है। यह योजना संबंधित नियंत्रण एजेंसी (आई डी बी आई, एस आई डी बी आई और आई एफ सी आई) और सहयोजित से निवेरक द्वारा लिए गए ऋण पर 5 प्रितशत बमयाज की पुनपूर्ति की व्यवस्था करती है। सरकार नियंत्रण एजेंसियों को 5 प्रतिशत ब्याज पुनपूर्ति के लिए निधियों की व्यवस्था करती है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत ऋण की स्वीकृति और संवितरण की प्रवृत्ति पर विचार विमर्श करते हुए वर्ष 2001-2002 के लिए 5 प्रतिशत ब्याज की पुनपूर्ति हेतु बांचित 200 करोड़ रुपए की निधियों की व्यवस्था की गई है।

12.06 ***कपास प्रौद्योगिकी मिशन*** : यह कपास विकास के लिए एक मिशन है जिसका उद्देश्य अनुसंधान, कृषकों को तकनीक उपलब्ध कराना, विपणन आधारभूत ठांचे में सुधार तथा गिनिंग एवं प्रेशिंग उद्योग का आधुनिकीकरण है।

इस मिशन के अंतर्गत चाल लघु मिशन हैं। लघु मिशन-I और II कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं और लघु मिशन-I और IV वस्त्रोद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहां हैं। दिनांक 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार एम एम-II और IV के अंतर्गत 142.69 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 134 परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 43.31 करोड़ रुपए है। संबंधित बजार प्रांगण और जिनिंग एंड प्रेसिंग

फैक्टरी को भुगतान भी पुनपूर्ति चरण बद्ध तरीके से की जाती है। वर्ष 2001-2002 के दौरान भारत सरकार के 24.25 करोड़ रुपए के हिस्से के साथ 67 परियोजना प्रस्तावों भी स्वीकृति की संभावना है। वर्ष 2001-2002 के आयोजना-परिव्यय में 30 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है।

12.07 ***परिधान निर्यात वस्त्रोद्योग पार्क योजनाः*** राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग नीति के अंतर्गत इस योजना के उद्देश्य ये हैं :-

(I) कपड़ों के विनिर्माण और निर्यात में पूर्व-उच्च सार्वभौग स्थिति प्राप्त करने व संभाले रखने के लिए वस्त्रोद्योग उद्योग को सुविधाजनक बनाना।

(II) आयात प्रवेशन के दबाव समझने के लिए उद्यग को सज्जित करना और घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति बरकरार रखना; और

(III) उद्योग को पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप विश्व श्रेणी की आधुनिक विनिर्माण क्षमता बनाने में सक्षम करना और इस प्रयोजनार्थ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ-साथ इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास दोनों को प्रोत्साहित करना।

12.08 ***वस्त्रोद्योग अभिवृद्धि केन्द्रों की आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन हेतु योजनाः*** यह खास वस्त्रोद्योग अभिवृद्ध केन्द्रों की आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की नई योजना है। इस योजना के अंतर्गत इचलाकरंजी, ईरोड, वाराणसी, तूरुपुर, पानीपट आदि जैसे चयनित वस्त्रोद्योग समूहों को सहायता देने व उत्पादननिर्यात बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचे की सुविधाओं के उन्नयन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

13. **जूट आयुक्त** : जूट आयुक्त भारत में जूट उद्योग के विकास और जूट मिल संबंधी मशीनरी के विकास की देखभाल करता है। वह जूट वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1956 और जूट (लाइसेसिंग और नियंत्रण) आदेश, 1961 को भी प्रशासित करता है।

14. **जूट के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम** : इसके अन्तर्गत मुख्यतः भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ को अनुदान देने और अधिग्रहीत/ राष्ट्रीयकृत जूट कम्पनियों और राष्ट्रीय जूट विविधिकरण केन्द्र के सम्बन्ध में अदायगियां करने के लिए व्यवस्था है।

15. **जूट विकास निधि को/से अन्तरण** : इसका संबंध औद्योगिक विकास निधि विशेष जूट विकास निधि के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए जमा खाते से दी जाने वाली आवश्यक धनराशि से है।

16. **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अनुदानः** आयोजना के अंतर्गत प्रावधान विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए है।

नागरिक पूर्ति

17. **सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण** : इसमें मंत्रालय के तहत रुग्ण सरकारी उद्यमों को अपने कर्मचारियों को वेतन और पारिश्रमिक के भुगतान के लिए संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता देने के लिए 477.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन और उसकी दो सहायक कंपनियों - एल्गिन मिल्स और कॉनपुर टेक्सटाइल्स के कर्मचारियों को अंतिम बकायों के निपटान के लिए 100 करोड़ रुपए का एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।

18. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश** : इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी नई और चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए इक्विटी और ऋण की व्यवस्था की गई है।

18.01 ***राष्ट्रीय वस्त्र निगम*** : राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई रुग्ण कपड़ा मिलों के कार्यों के प्रबन्ध के लिए की गई थी। निगम 124 मिलों का संचालन करता है, जिनकी संस्थापित क्षमता 35.63 लाख तकलियां और 35,684 करघों की है। सरकार ने एक व्यापक परिवर्तनकारी नीति अनुमोदित की है, जिसके मुख्य तत्व चुनिंदा आधुनिकीकरण, वित्तीय और प्रबन्धकीय पुनःसंरचना तथा अधिशेष कार्य बल को युक्तिसंगत बनाना है।

18.02 ***ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन*** : ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की दो ऊनी मिलें, अर्थात् कानपुर वूलन मिल्स, कानपुर और न्यू एगटन वूलन मिल्स, धारीवाल हैं। कानपुर टेक्सटाइल मिल्स और एल्गिन मिल्स नामक इसके दो कपास सहायक निगम हैं। ये दो कपास की सहायक कंपनियां समापन हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है। ब्रिटिश इंडिया निगम के मामले में एक पुनरुज्जीवन प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है और औद्योगिक वित्त और पुनर्निमाण बोर्ड विचारार्थ व अनुमोदन हेतु इसके समक्ष रखा गया है।

18.03 ***राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम*** : राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम की स्थापना 6 राष्ट्रीयकृत जूट मिलों को चलाने के लिए की गई थी। इन मिलों के आधुनिकीकरण और नवीकरण का कार्य भी आरंभ किया गया है।

18.06 ***राष्ट्रीय हथकरधा विकास निगम*** : राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम रसायनों और रंजकों के विनिर्माताओं के सहयोग से रंगाई और छपाई के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। हथकरघा बुनकरों को हथकरधा फैब्रिकों की रंगाई, छपाई तथा संसाधन की अद्यतन तकनीक उपलब्ध कराई जाती है।

18.07 ***राज्य हस्तशिल्प निगम/समितियां*** : लाभभोगी संगठनों के कार्यशील पूंजी आधार को बढ़ाने की दृष्टि से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय राज्य हस्तशिल्प विकास निगम तथा शीर्ष सहकारी समितियों को इक्विटी प्रदान करता है ताकि वे कारीगरों से सीधे ही हस्तशिल्पों की खरीद का कार्य करने तथा कच्चा माल वितरित करने में सक्षम हो सके।

18.09 ***हस्तकला और हथकरधा निर्यात निगम*** : हस्तकला और हथकरधा निर्यात निगम की स्थापना जून 1962 में की गई थी जिसके (i) निर्यात संवर्द्धन और (ii) हस्तकला व हथकरघा उत्पादों का व्यापार विकास ये दो उद्देश्य थे। हस्तकला और हथकरघा निर्यात निगम सोने के आभूषण व चांदी के आभूषण/सामान के निर्यात करने के अतिरिक्त हस्तकला और हथकरघा उत्पादों (हाथ से बुनी ऊनी दरियों व सिलेसिलाए वस्त्रों सहित) के क्षेत्र में एक निर्यात गृह है।

19. **देश सहायता ढांचा-I के अधीन यू.एन.डी.पी सहायताः** संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता से देश सहयोग ढांचा-I (सी.सी.एफ.-I) के तत्वाधान के अंतर्गत रेशे और हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यक्रम शुरु किए जाते है। इससे संबंधित परियोजना समर्थन दस्तावेज पर भारत सरकार (आर्थिक कार्य विभाग और वस्त्रोद्योग मंत्रालय) तथा यू.एन.डी.पी. के बीच दिनांक 14 अगस्त, 1998 को हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम के अधीन शामिल किए जाने वाले क्षेत्र हैः जूट, मल्बरी-भिन्न रेशम, अंगूरा ऊन, कालीन और बेंत तथा बांस। 4 कार्यान्वयन इकाईयां है। ये है केन्द्रीय रेशम बोर्ड, जूट विविधीकरण के लिए रष्ट्रीय केन्द्र, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड तथा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

यू.एन.डी.पी. से निधियों की राशि 7 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 30 करोड़ रुपए) होगी।

20. यह प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र व सिक्किम के विकास की परियोजनाओं/ योजनाओं से संबंधित है।